संदर्भ सं०∕Ref. No.NITUK/\_\_

दिनांक / Date:

#### बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन हेतु अनुरोध

Application for reimbursement of Children Education Allowance (CEA)/Hostel Subsidy (HS) वित्तीय वर्ष के लिए दावा / Claim for the Financial Year

कर्मचारी का नाम / Name of the Employee :	कर्मचारी कोड⁄Employee Code:
पदनाम एवं विभाग / अनुभाग / Designation & Dept./Section:	
क्या विद्यालय / संस्थान केंद्र या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसका उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र है जहां विद्यालय / संस्थान स्थित है? Whether School/Institute is recognized by the Central or State Govt. or UT administration or by University or recognized educational authority having jurisdiction over the area where the School/Institute is situated?	: ( ) हां/Yes ( ) नहीं/No a
क्या पति/पत्नी केंद्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारी/केंद्रीय या राज्य पी०एस०यू० कर्मचारी/बैंक/स्वायत्त निका कर्मचारी हैं (जो लागू न हो उसे काट दें?/Whether spouse is Central or State Govt. employee/Central or Stat PSU employee/Bank/Autonomous body employee (Strike out whichever is not applicable)?	te : ( ) हां/Yes ( ) नहीं/No
क्या पति/पत्नी बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी के हकदार हैं (यदि हां तो, निम्नलिखित विवरण प्रदा करें)?/Whether spouse is entitled for Children Education Allowance <b>(CEA)</b> /Hostel subsidy <b>(HS)</b> (if yes, provid the following details)?	
- जीवनसाथी का नाम / Name of the Spouse:	:
- उस कार्यालय का नाम व पता जहां कार्यरत हैं।/Name and address of the Office where employed:	:
- वेतन स्तर एवं मूल वेतन / Pay Level & Basic Pay:	:
- क्या बाल शिक्षा भत्ता / छात्रावास सब्सिडी के लिए पात्र हैं। / Whether eligible for CEA/HS: (यदि हां, तो अपने नियुक्ता से प्रमाणपत्र जमा करें कि उसने अपने नियुक्ता से बाल शिक्षा भत्ता (सीईए) / छात्रावास सब्सिडी का दावा नहीं किया है (If yes, submit certificate from his/her employer that he/she has not claimed CEA/HS from his/her employer)	: ;;

बच्चे / बच्चों का विवरण / DETAILS OF CHILD/CHILDREN 1 : बच्चे / बच्चों का नाम कक्षा के लिए दावा 2 : Claim for the Class Name of Child/Children 3\* 1 : पिछली दावा की गयी जन्मतिथि / DOB 2 उम्र∕Age कक्षा / Last claimed (dd/mm/yyyy) class 3\* : विकलांग (हां / नहीं)—यदि, हां 1 विकलांगता घोषित की गई : विकलांगता का प्रकार केवल तभी जब बोर्ड द्वारा प्रमाणित और Disability declared (अस्थायी / स्थायी) & पहले से ही स्थापना अनुभाग को घोषित 2 : from (dd/mm/yyyy) कम से कम 40% विकलांगता हो। % (कृप्या PWD प्रमाणपत्र की Disabled (Yes/No) - If, Yes only Type of disability प्रति संलग्न करें।/Please (Temporary/ if at least 40% disability as certified by 3\* enclose the copy of PWD : Permanent) & % Board and already declared to certificate) Establishment Section 1 विद्यालय का नाम, शहर और : राज्य / School Name, City 2 & State 3\*

\* 31/12/1987 तक पैदा हुए तीन बच्चों तथा उसके बाद पैदा हुए दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के संबंध में एक समय में बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की जायेगी। हालांकि, बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी भी स्वीकार्य है, यदि दूसरे बच्चे के जन्म के परिणामस्वरुप जुड़वा या एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं। नसबंदी आपरेशन की विफलता के मामले में, बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी सामान्य दो बच्चों के अलावा ऐसी विफलता की पहली घटना से पैदा हुए बच्चों के संबंध में स्वीकार्य होगा। The number of Children for whom the CEA/HS is drawn at a time should not exceed three in respect of children born upto 31-12-1987 and two eldest surviving children born thereafter. However, CEA/HS is also admissible, if the second child birth results in twins or multiple births. In case of failure of sterilization operation, the CEA/HS would be admissible in respect of children born out of the first instance of such failure beyond the usual two children.

		राशि / /	Amount	निवास से	टिप्पणी ⁄ Remarks	
<b>क्र०सं०/</b> S.No.	नाम⁄Name	सीर्व्इ०ए० / Children Education Allowance	<b>एच०एस०</b> ⁄ Hostel Subsidy	छात्रावास/संस्थान की दूरी (किमी में)/Distance from residence to Hostel/Institution (in Kms.)		
1.		₹	₹			
2.		₹	₹			
3.		₹	₹			
	कुल / Total	₹	₹			

#### नोट / NOTE:

- a) प्रति बच्चा प्रति माह बाल शिक्षा भत्ते के लिए ₹2,812.50 और आनुपालिक आधार पर प्रति बच्चा प्रति माह छात्रावास सब्सिडी के लिए ₹8,437.50/-। ₹2,812.50 for Children Education Allowance per month per child and ₹8,437.50/- for Hostel Subsidy per month per child on prorata basis.
- b) दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता @₹5625/- प्रति माह देय होगी। The Children Education Allowance for differently abled children shall be payable @₹5625/- per month.
- c) दिव्यांग बच्चों के लिए ऊपरी आयु सीमा 22 वर्ष है। अन्य बच्चों के मामले में आयु सीमा 20 वर्ष या 12वीं उत्तीर्ण होने तक जो भी पहले हो। /The upper age limit for Divyaang children is 22 years. In case of other children the age limit is 20 years or till the time of passing of 12<sup>th</sup> class whichever is earlier.
- d) बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति कक्षा एक से 12वीं कक्षा तक (कक्षा के प्रकार पर ध्यान दिए बिना) से तीन कक्षाओं से पहले पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्वीकार्य है और पॉलिटेक्निक/आईoटीआईo/इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के शुरुआती दो वर्षों के लिए भी, यदि बच्चा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पाठ्यक्रम करता है और कर्मचारी को 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययन के लिए बच्चे के संबंध में बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी नहीं दी गई है। पत्राचर या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करने वाले बच्चों के मामले मे भी बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी नहीं दी गई है। पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करने वाले बच्चों के मामले मे भी बाल शिक्षा भत्ता की अनुमति है।/The CEA and Hostel Subsidy is admissible in respect of children studying from three classes before class one to 12<sup>th</sup> standard (irrespective of nomenclature of class) and also for the initial two years of a diploma/certificate course from Polytechnic/ITI/Engineering College, if the child pursues the course after passing 10<sup>th</sup> standard and the employee has not been granted CEA/Hostel Subsidy in respect of the child for studies in 11<sup>th</sup> and 12<sup>th</sup> standard. CEA is also allowed in case of children studying through correspondence or distance learning.

#### <u> घोषणा / DECLARATION</u>

- प्रमाणित किया जाता है कि दावा मेरे वैध/कानूनी रुप से गोद लिये गये बच्चे/पूर्ण रुप से मुझ पर निर्भर बच्चों से संबंधित है। Certified that the claim relates to my legitimate/legally adopted child/children wholly dependent on me.
- प्रमाणित किया जाता है कि बच्चे/बच्चों के लिए निर्दिष्ट शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी वास्तव में मेरे द्वारा विद्यालय/संस्थान को भुगतान कर दिया गया है।/ Certified that the Education Allowance (CEA) / Hostel Subsidy (HS) indicated against the Child/Children has actually been paid by me to the school/Institute.
- 3) प्रमाणित किया जाता है कि दावे में शामिल अवधि के दौरान बच्चा नियमित रूप से विद्यालय गया और एक महीने से अधिक की अवधि के लिए उचित छुट्टी के बिना विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहा। / Certified that during the period covered by the claim the child attended the school regularly and did not absent himself/herself from the school without proper leave for a period exceeding one month.
- 4) प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये विवरणों में किसी भी बदलाव की स्थिति में, जो बाल शिक्षा भत्ता / छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए मेरी पात्रता को प्रभावित करता है, मै तुरंत इसकी सूचना देने और अतिरिक्त भुगतान, यदि कोई हो, वापस करने का वचन देता हूं। / Certified that in the event of any change in the particulars given above which affect my eligibility for reimbursement of Children Education Allowance/Hostel Subsidy, I undertake to intimate the same promptly and also to refund excess payment, if any made.
- 5) प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान के प्रमुख का प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है। / Certified that the certificate from Head of Institution has been attached.
- 6) प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान के प्रमुख का प्रमाणपत्र जिसमें स्पष्ट रुप से राशि का उल्लेख है **(छात्रावास सब्सिडी के लिए)** संलग्न किया गया है।/Certified that the certificate from Head of Institution clearly mentioning the amount has been attached **(for Hostel Subsidy)**.
- 7) प्रमाणित किया जाता है कि मैनें या मेरे पति/पत्नी ने किसी अन्य स्त्रोत से इस प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया गया है और भविष्य में भी इसका दावा नहीं करुंगा।/Certified that I or my spouse has not been claimed this re-imbursement from any other source and will not claim the same in future.
- 8) प्रमाणित किया जाता है कि मेरा बच्चा जिसके संबंध में बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति लागू की गई है, उस विद्यालय / कॉलेज में पढ़ रहा है जो शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त और संबंद्ध है। / Certified that my child in respect of whom reimbursement of Children Education Allowance is applied is studying in the School/College which is recognized and affiliated to Board of Education/University.
- 9) प्रमाणित किया जाता है कि मेरा बच्चा मेरे निवास से कम से कम 50 किलोमीटर दूर स्थित आवासीय शैक्षणिक संस्थान में पढ़ रहा है। Certified that my child studying in a residential educational institution located at least 50 kilometers from my residence.
- 10) ऊपर दिया गया विवरण / जानकारी पूर्ण और सही है और मैंने कोई भी प्रासंगिक जानकारी नहीं छिपाई है। इसके अलावा, मुझे पता है कि, यदि किसी भी स्तर पर ऊपर दी गई जानकारी / दस्तावेज गलत पाये जाते हैं, तो मैं सी॰सी॰एस॰ (आचरण) नियम, 1964 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूं।/The particulars/information furnished above is complete and correct and I have not suppressed any relevant information. Further, I am aware that, if at any stage the information/documents furnished above is found to be false, I am liable for disciplinary action under CCS (Conduct) Rules, 1964.

दिनांक / Date:\_\_

कर्मचारी के हस्ताक्षर / Signature of employee

अग्रेषित /	Forwarded	अग्रेषित	न

d \_\_\_\_\_ अग्रेषित नहीं किया गया / Not Forwarded

विभागाध्यक्ष / अनुभाग प्रमुख / समन्वयक के प्रतिहस्ताक्षर Counter Signature of HoD/Section Head/Coordinator

### केवल कार्यालय प्रयोग हेतु / FOR OFFICE USE ONLY

क्र०सं० (Name		दावा राशि	/ Amount claimed	राशि स्वीकार्य /	राशि स्वीकार्य / Amount admissible		
S.No.	नाम / Name	<b>सीईए</b> / CEA	५ एचएस∕HS	सीईए∕CEA	<b>एचएस</b> / HS		
1.		₹	₹	₹	₹		
2.		₹	₹	₹	₹		
3.		₹	₹	₹	₹		
ľ	<b>कुल</b> / Total	₹	₹	₹	₹		
	ारिक विवरण सत्यापन nily particulars verified	विवरण की जांच एवं Particulars checked and					
	ठ सहायक (स्थापना) ior Assistant (Estt.)	अधीक्षक (स्थाप Superintendent (I		सहायक⁄उप–कुलर Asstt./Dy. Regis			
	वा / बिलों की जांच Claim/bills checked	दावा⁄बिलों की जांच ए Claim/bills checked and					
	ष्ठ सहायक (लेखा) or Assistant (A/cs.)	अधीक्षक (लेख Superintendent (/		सहायक∕उप–कुल Asstt./Dy. Regis	ासचिव (लेखा) strar (A/cs.)		
	अनुमोदि	त / Approved 🦳 अनुमोदि	त नहीं किया गया∕।	Not Approved			
		कुलसचिव / Regi	strar				

सेवा में / To सहायक / उप–कुलसचिव (लेखा) / Asstt./Dy. Registrar (Accounts)

#### **CERTIFICATE FROM THE HEAD OF INSTITUTION/SCHOOL**

(FOR REIMBURSMENT CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE & HOSTEL SUBSIDY)

Ref.No			Date:	
It is certified that Master Roll No Section School records his/her date	D.O.Bis a bonafide during the Fina	Son/Daughter student of this sch ncial Year	nool and	studied in Class
		•		
The	School/In:	stitution,	_ is	namely recognized by
No./Code	_ and having the	Curriculum/p	-	egistered affiliation
* During the year Mas resided in the residentia towards boarding and lodg	l complex (Hostel) of t		an amount	had t of ₹

*	Strike	out	if	it	is	not	ap	olicable.	
---	--------	-----	----	----	----	-----	----	-----------	--

Place:	
Date:	

Signature of Head of the School/Institution (With Stamp and seal)

**NOTE:** In the absence of certificate from the School/Institution, self-attested copies of the report card and fee receipts(s) [including e-receipts(s)] confirming/indicating that the fee deposited for the entire academic year. The period/year means academic year i.e. twelve months of complete academic session. Hostel subsidy is applicable only in respect of the child studying in a residential educational Institution located at least 50 kilometers from the residence of the Government servant.

The reimbursement of Children Education Allowance and Hostel Subsidy shall have no nexus with the performance of the child in his/her class. In other words, even if a child fails in a particular class, the reimbursement of CEA/HS shall not be stopped. However, if the child is admitted in the same class in another school, although the child has passed out of the same class in previous school or in the mid-session, CEA shall not be reimbursed.

### **SELF DECLARATION**

I,	do hereby certify that my S	Son/Daughter
namely	studied in Class	
Section	Roll No during the Financial Year	in

In the event of any change in the particulars given above which affect my eligibility for Children Education Allowance. I undertake to intimate the same promptly and refund excess payment, if any made to me.

Encl: Self-attested copies of the report card and fee receipts(s) [including e-receipts(s)].

Date:

Signature of applicant